



# बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)  
ISO 9001:14001; OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasha Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna - 800 004

Tel. No. : 0612 - 2660850 • Fax No. : 0612 - 2660256

E-mail : bseidc@gmail.com • Website : http://www.bseidc.in • CIN : U80301BR2010SGC015859

पत्रांक— BSEIDC/TECH/289/2019/-

3427

पटना, दिनांक: 09.06.2020

प्रेषक,

मुख्य अभियंता  
BSEIDC, पटना।

सेवा में,

Lal Babu Prasad,  
AT-Kuriyan, P.O.-Alamganj Bazar,  
Distt.-Bettiah.

विषय:— बिहार राज्य अंतर्गत “Construction of Block Resource Centre at Naugachhia, Bhagalpur” कार्य (एकरारनामा सं०-273 F2 of 2017-18 दिनांक-09.03.2018) को F<sub>2</sub> एकरारनामा के Clause 3 के प्रावधानों के अंतर्गत Rescind करने के संबंध में।

प्रसंग: कार्यपालक अभियंता, भागलपुर प्रमण्डल का पत्रांक-718 दिनांक-09.12.2019 तथा इस कार्यालय का पत्रांक-BSEIDC/TECH/1578/2017-2269 दिनांक-18.03.2020।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के आलोक में कहना है कि “Construction of Block Resource Centre at Naugachhia, Bhagalpur” कार्य का एकरारनामा (सं०-273 F2 of 2017-18) दिनांक-09.03.2018 को किया गया था। एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 08.06.2019 (15 माह) थी। कार्य की समाप्ति की तिथि से 01 वर्ष से भी ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद अभी तक आपके द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं किया गया है। कार्यपालक अभियंता, भागलपुर प्रमण्डल के द्वारा आपको कार्य पूर्ण करने हेतु बार-बार निदेश दिया गया। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक- BSEIDC/TECH/1578/2017-2269, दिनांक-18.03.2020 द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण एकरारनामा की सुसंगत कंडिकाओं के तहत विषयक एकरारनामा को आपके Risk & Cost पर विखंडित कर Security Deposit को जप्त करते हुए आपके निबंधन को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका 11 क (ii) के आलोक में काली सूची में दर्ज करने के संबंध में कारण पृच्छा की गई एवं सात दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निर्देश दिया गया था। जिसके आलोक में आपके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। वर्तमान में भी आपके द्वारा लम्बी अवधि से कार्य बंद रखा गया है।

उक्त के आलोक में कार्यपालक अभियंता, भागलपुर प्रमण्डल के पत्रांक- BSEIDC/EE/BAG/211/2020 दिनांक-09.06.2020 द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं कराये जाने के कारण बाध्य होकर एकरारनामा को विखंडित करने की अनुशंसा की गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं लोकहित/कार्यहित में F2 एकरारनामा के Clause 3 के अंतर्गत Contract Agreement संख्या-273 F2 of 2017-18 दिनांक-09.03.2018 को तत्काल प्रभाव से आपके Risk & Cost पर विखंडित (Rescind) कर Performance Security जब्त की जाती है।

बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका- 11 क (ii) के आलोक में अन्य कार्रवाई भी की जायेगी।

विश्वासभाजन

मुख्य अभियंता  
25/06/2020

ज्ञापांक: BSEIDC/TECH/289/2019/- 3427

पटना, दिनांक: 25.06.2020

प्रतिलिपि: कार्यपालक अभियंता, भागलपुर प्रमण्डल, BSEIDC को निदेश दिया जाता है कि संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में तिथि निर्धारित कर अंतिम मापी कराकर शेष कार्य का प्राक्कलन एवं परिमाण विपत्र तैयार कर समर्पित करें ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

मुख्य अभियंता  
25/06/2020

ज्ञापांक: BSEIDC/TECH/289/2019/- 3427

पटना, दिनांक: 25.06.2020

प्रतिलिपि: महाप्रबंधक (वित्त)/कार्यपालक अभियंता (मु०)/लेखा पदाधिकारी, BSEIDC को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता  
25/06/2020